इन्दिरा गांधी राज्य खेल परिसर संचालन समिति के लेखों का लेखा परीक्षण एवम् अंकेक्षण प्रतिवेदन

अवधि 04/2011 से 03/2013

प्रथम भाग

1 **(i) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :–**

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित अंकेक्षण आपत्तियों पर की गई कार्रवाई का सत्यापन करने के पश्चात पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से पाई गई। अतः अनिर्णीत अंकेक्षण आपत्तियों के निपटारे हेतु विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 08/97 से 03/03

1	पैरा 9	अनिर्णीत	
2	पैरा 11	निर्णीत	(पैरा अपडेटड एवं पुनः प्रारूपित)
3	पैरा 13	अनिर्णीत	

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/03 से 03/05

1	पैरा 7	अनिर्णीत	
2	पैरा 8	अनिर्णीत	
3	पैरा 9	अनिर्णीत	
4	पैरा 11	निर्णीत	(₹20 चालान संख्या 60, दिनांक 12.02.14 द्वारा जमा करवाने के उपरान्त)
5	पैरा 16	निर्णीत	(पैरा अपडेटड एवं पुनः प्रारूपित)

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/05 से 03/07

1	पैरा 8	निर्णीत	(पैरा अपडेटड एवं पुनः प्रारूपित)

(घ) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 04/07 से 03/09

1	पैरा 7(ख)	निर्णीत	(पैरा अपडेटड एवं पुनः प्रारूपित)

(ङ) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 04/09 से 03/10

1	पैरा 4	निर्णीत	(अंकेक्षण शल्क की ₹2200/– बैंक ड्राफ्ट संख्या

			301121, दिनांक 14.9.10 द्वारा जमा करवाने के उपरान्त)
2	पैरा 6	निर्णीत	(पैरा अपडेटड एवं पुनः प्रारूपित)
3	पैरा 7	अनिर्णीत	
4	पैरा 8	निर्णीत	(पैरा अपडेटड एवं पुनः प्रारूपित)

(च) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 0410 से 03/11

1	पैरा 3	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
2	पैरा 4	निर्णीत	(अंकेक्षण शल्क की ₹3000/– बैंक ड्राफ्ट संख्या 852499, दिनांक 23.6.11 द्वारा जमा करवाने के उपरान्त)
3	पैरा 5	अनिर्णीत	
4	पैरा 6	निर्णीत	(संस्था द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण एवं उनके द्वारा माह 5/2010 से अभिलेख तैयार करने के पश्चात)
5	पैरा 7 (क)	निर्णीत	(अपेक्षित कार्रवाई उपरान्त)
6	पैरा 7 (ख)	निर्णीत	(निर्णीत एवं अपडेटेड)
7	पैरा 8	निर्णीत	(अपेक्षित कार्रवाई/अनुपालना उपरान्त)

(ii) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

क्र0सं0	पैरा सं0	गम्भीर अनियमितताओं का सार	₹ लाखों में
1	5	हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग से विभिन्न कार्यों से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना	26.51
2	7	योनैक्स बैडमिन्टन कोर्ट मैट के दो सैट की खरीद हेतु ऐसोसिएशन दी गई अग्रिम राशि को ऐसोसिएशन द्वारा 2 वर्ष 4 माह तक उपयोग न करके राशि को वापिस जमा करवाना	3.50
3	8	बिना निविदाऐं आमन्त्रित किए ही क्रय की गई मदों पर राशि का व्यय करना	1.62
4	9	दिनांक 31.03.2013 को अग्रिम राशि का समायोजन हेतु शेष पाया जाना	1.07

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

इन्दिरा गांधी राज्य खेल परिसर संचालन समिति के अवधि 04/2011 से 03/2013 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण, श्री मनजीत भाटिया, अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) द्वारा दिनाँक 31.01.2014 से 12.02.2014 के दौरान किया गया। आय की विस्तृत जाँच के लिए माह 06/2011 व 05/2012 तथा व्यय की विस्तृत जाँच के लिए माह 09/2011 व 07/2012 के लेखों का चयन किया गया।

वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन संस्था द्वारा उपलब्ध की गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, उक्त संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गलत सूचनाओं अथवा सूचना उपलब्ध न करवाने पर पाई गई अनियमितताओं के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।

3 लेखा परीक्षा शुल्क :–

समिति के अवधि 04/2011 से 03/2013 के लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000/– (₹छः हजार मात्र) आंका गया। अनुभाग अधिकारी (ले0प0) के पत्र संख्या 15/2014 दिनांक 12.02.2014 द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009 को शीध्र भेजने हेतु अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति :–

इन्दिरा गाँधी राज्य खेल परिसर संचालन समिति द्वारा प्रस्तुत समिति की अवधि 04/2011 से 03/2013 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से पाई गई जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "क"** पर भी दिया गया है।

प्रारम्भिक शेष	आय	योग	व्यय	अन्तशेष
2637351	1248620	3885971	2726624	1159347
1159347	3833274	4992621	2945554	2047067

अन्तशेष की **₹2047067/–** जिला राजकीय कोष, शिमला–1 के खाता संख्या 8443 में जमा दर्शाई गई है।

5 हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग से विभिन्न कार्यों से सम्बन्धित ₹2651897/– के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करने बारेः–

संस्थान द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु ₹2651897/– हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के पास "डिपोजिट कार्यो" के रूप में जमा करवाई गई जिसका विवरण **परिशिष्ट "ख"** पर दिया गया है। उक्त परिशिष्ट में दी गई राशियों से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग से प्राप्त नहीं किए गए जिन्हें प्राप्त करके अनुपालना से यथासमय इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

6 ₹1134386/– के मूल्य की मदों का क्रय करने से पूर्व स्टॉक का सक्षम अधिकारी से सत्यापन न करवाया जानाः–

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम, 1971, खण्ड–1 के नियम 15.19 के अनुसार किसी भी अवधि में प्रत्येक मद का स्टॉक में शेष आवश्यकता से अधिक नहीं होना चाहिये जिसके लिये सक्षम अधिकारी द्वारा समय–समय पर निरीक्षण किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न विवरणानुसार ₹1134386/– की मदों का क्रय करने से पूर्व संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित नहीं किया गया कि क्रय करने से पूर्व इन मदों का कितना स्टॉक में शेष था, वर्तमान में कितनी आवश्यकता थी तथा कितनी मात्रा में मदों का क्रय किया जाना अपेक्षित था। इसके अतिरिक्त इस सन्दर्भ में सक्षम अधिकारी द्वारा कोई भी प्रमाणन दिया गया था। अतः उक्त नियम के अनुसार कार्रवाई न करने से यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि क्रय की गई मदें वास्तव में संस्थान को आवश्यकता के अनुसार थी या नहीं। परिणामस्वरूप उक्त व्यय को तर्कसंगत नहीं ठहराया जा सकता। अतः पाई गई त्रुटि बारे तथ्यों सहित स्पष्टीकरण दिया जाये एवं इन मदों के स्टॉक को अब सक्षम अधिकारी से सत्यापित करवाया जाये तथा भविष्य में विभिन्न मदों का क्रय करने से पूर्व उक्त नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई करनी सुनिश्चित की जाये ताकि मदों के अनावश्यक क्रय पर किये जाने वाले व्यय पर रोक लगाई जा सके।

क्र0 सं0	फर्म जिससे मदों का क्रय किया गया	बिल सं0 व दिनांक	मद का नाम	(₹)
1	मै0 फ्रैंडस एजेंसी ढांडा, टूटू, शिमला	229/12.3.11	विभिन्न जिम आइटम्स	55312
2	मै0 डी0एम0 वेल्डिंग वर्क्स, राम	177/23.9.11	डिफरेंट वेल्डिंग वर्कस	71190

	मन्दिर मार्किट शिमला			
3	मै0 मोना लीसा हेल्थ केयर, यमुनानगर, हरियाणा	3572 / 8.11.11	कम्पलीट जिम इक्विपमेन्ट, स्पेयर पार्टस एन्ड सर्विस	40500
4	मै0 हरियाण हैण्डलूम इम्पोरियम लोअर बाजार शिमला	2324 / 24.12.11	624.40 वर्ग मीटर सिंथेटिक फुटमैटस	59006
5	मै0 हरियाण हैण्डलूम इम्पोरियम लोअर बाजार शिमला	2327 / 27.12.11	464.40 वर्ग मीटर सिंथेटिक फुटमैटस	52009
6	मै0 हरियाण हैण्डलूम इम्पोरियम लोअर बाजार शिमला	2333 / 29.12.11	956.20 वर्ग मीटर जूटमैटस	25100
7	मै0 मोना लीसा हेल्थ केयर, यमुनानगर, हरियाणा	3585 / 2.1.12	एक बड़ी जोग्गर मोटोराईज्ड बेल्ट एवं रिपेयर	25312
8	मै0 मोना लीसा हेल्थ केयर, यमुनानगर, हरियाणा	3584 / 2.1.12	हैक्सागोन डम्बलस एंड ट्राई ग्रिप प्लेटस	112461
9	मै0 ए0 जी0 कारपोरेशन, मुख्य बस अडडा शिमला	36502,36503 / 26.12.11	विभिन्न हार्डवेयर आइटमस	55057
10	मै0 मोना लीसा हेल्थ केयर, यमुनानगर, हरियाणा	3640 / 9.6.12	630 कि0ग्रा0 वेट प्लेटस 4 नं0 ओलपिंक रोडस एंड 20 पीस वेट लिफट रोडस	166025
11	मै0 मोना लीसा हेल्थ केयर, यमुनानगर, हरियाणा	3642 / 9.6.12	630 कि0ग्रा0 वेट प्लेटस एंड 10 पीस जिम्नास्टिक मैटस	160348
12	मै0 मोना लीसा हेल्थ केयर, यमुनानगर, हरियाणा	3643 / 9.6.12	2 नं0 मोटोराइज्ड जोग्गर बेल्ट एवं इसके पार्टस / रिपेयर / सर्विस	31500
13	मै0 मोना लीसा हेल्थ केयर,	3646 / 13.6.12	2 नं0 स्पिन बाइक, 30	80672

	यमुनानगर, हरियाणा		कि0ग्रा0 के डम्बलस एवं 1 नं0 जिम्नास्टिक मैट	
14	मै0 मोना लीसा हेल्थ केयर, यमुनानगर, हरियाणा	3691/5.1.13	2 नं0 मोटोराइज्ड जोग्गर बेल्ट एंड 1 नं0 स्पिन बाइक	33825
15	मै0 अमित स्पोर्टस, टूटू, शिमला	158/20.3.13	96 बॉक्स बैडमिन्टन शट्टल कॉक, 21 नं0 बैडमिन्टन नेट एंड 79 नं0 बैडमिन्टन रैकेट	85069
16	मै0 वॉरियर एजेजन्सी, नजदीक पंचायत भवन, शिमला	710/20.3.13	270 नं0 बैडमिन्टन शट्टल कॉक	81000
			कुल	**1134386**

7 योनैक्स बैडमिन्टन कोर्ट मैट के दो सैट की खरीद हेतु ऐसोसिएशन दी गई अग्रिम ₹350000/– को ऐसोसिएशन द्वारा 2 वर्ष 4 माह तक उपयोग न करके राशि को वापिस जमा करवाने के बारे में:–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि इन्दिरा गाँधी राज्य खेल परिसर, संचालन समिति द्वारा दिनाँक 06.01.2010 को संचालन निधि से अग्रिम ₹350000/– हिमाचल प्रदेश बैडमिन्टन एसोसिएशन को "योनेक्स बैडमिन्टन कोर्ट मैट" के दो सैट की खरीद हेतु प्रदान की गई। तत्पश्चात यह राशि हिमाचल प्रदेश बैडमिन्टन एसोसिएशन द्वारा भारतीय बैडमिन्टन एसोसिएशन को उक्त सामान उपलब्ध करवाने के लिये दी गई थी परन्तु संचालन समिति द्वारा माह 05/2012 तक उक्त सामान प्राप्त नहीं किया गया जबकि अभिलेखानुसार संस्था को सामान एक माह के भीतर उपलब्ध करवाया जाना वान्छित था। इसके विपरीत ऐसोसिएशन द्वारा यह अग्रिम राशि बैंक ड्राफ्ट संख्या 07485, दिनांक 29.04.2012 के माध्यम से समिति को वापिस कर दी गई जिसे चालान संख्या 23, दिनांक 8.5.12 द्वारा समिति के पर्सनल लेजर अकाउंट संख्या 8443–106 में जमा किया गया। इस प्रकार इस राशि को उक्त संस्था द्वारा लगभग 2 वर्ष 4 महीने अपने पास रखा गया जिससे संचालन समिति के धन को सदुपयोग न होकर समिति को अप्रत्यक्ष रूप से ब्याज की हानि हुई जोकि अनियमित ही नहीं अपितु आपत्तिजनक भी है। अतः इस सम्बन्ध में तथ्यों सहित पूर्ण वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाये

अन्यथा ऐसोसिएशन से ब्याज की वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8 बिना निविदाऐं आमन्त्रित किए ही क्रय की गई मदों पर ₹162181/– का व्यय करना:–

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम, 2009 के नियम 97 के अनुसार ₹3000/– से अधिक का व्यय करने से पूर्व निविदाएं आमन्त्रित की जानी आवश्यक होती है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न वर्णित प्रकरणों में ₹162181/– की विभिन्न प्रकार की मदों का क्रय करने पर व्यय करने से पूर्व निविदाएं आमन्त्रित नहीं की गई थी जिससे बाजारी प्रतिस्पर्धा का लाभ नहीं उठाया गया। नियमानुसार निविदाएं आमन्त्रित न करना अनियमित ही नहीं बल्कि आपत्तिजनक भी है। अतः उक्त पाई गई अनियमितता बारे स्पष्टीकरण दिया जाये एवं उक्त व्यय को अब सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में ₹3000/– से अधिक का व्यय करने से पूर्व नियमानुसार निविदाएं आमन्त्रित की जानी सुनिश्चित की जाये।

क्र0सं0	फर्म का नाम जिससे सामान क्रय किया	बिल सं0 व दिनांक	मद का नाम	राशि
1	मै0 हरियाणा हैण्डलूम इम्पोरियम लोअर बाजार शिमला	2046/20.8.11	बॉक्सिंग रिंग के लिये कपड़ा	6909
2	श्री एस0के0 ठाकुर इलैक्ट्रिकल कांट्रेक्टर	शून्य/28.6.11	इलैक्टिरकल रिपेयर वर्क	8000
3	श्री हंस राज, पलम्बर	शून्य/26.'9.11	पलम्बर वर्क	10515
4	मै0 यूरेका फोर्ब्स लि0 सरस्वती नगर, चक्कर, शिमला–5	971014816/13.12.11	एकुआगार्ड/बूस्टर /सेंसर	20180
5	मै0 ए0 जी0 कारपोरेशन, मुख्य बस अडडा शिमला	36352/12.12.11	1000 लीटर के चार पानी के टैंक	22240
6	श्री हंस राज, पलम्बर	शून्य/28.12.11	पलम्बर वर्क	11130
7	मै0 ए0 जी0 कारपोरेशन,	36671/19.3.12	हार्डवेयर आइटम्स	6683

	मुख्य बस अडडा शिमला			
8	मै0 अमित स्पोर्टस, मिडल बाजार शिमला	323 / 16.5.12	11 बॉक्स शट्टल कॉक	6699
9	मै0 मोना लीसा हेल्थ केयर, यमुनानगर, हरियाणा	3643 / 9.6.12	2 मोटोराइज्ड जोग्गर बेल्ट एवं पार्टस / रिपेयर / सर्विस	31500
10	श्री संत राम ठाकुर, गांव शकोह डाकखाना काली हट्टी, तहसील व जिला शिमला (हि0प्र0)	शून्य / 22.9.12	व्हाइट वाशिंग वर्क	4500
11	मै0 मोना लीसा हेल्थ केयर, यमुनानगर, हरियाणा	3691 / 5.1.13	2 मोटोराइज्ड जोग्गर बेल्ट एवं स्पिन बाइक	33825
			कुल	**162181**

9 दिनांक 31.03.2013 को अग्रिम ₹107000 / – का समायोजन हेतु शेष पाया जानाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संचालन समिति के लेखों में दिनांक 31.03.2013 को अग्रिम ₹107000 / – अनुसार समायोजन हेतु शेष थी जिसका विवरण **परिशिष्ट "ग"** पर दिया गया है। यह राशि महाप्रबन्धक, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम को परिसर की मुरम्मत हेतु माह 02 / 2003 में अग्रिम के रूप में प्रदान की गई थी जिसका दिनांक 31.03.2013 तक भी समायोजन नहीं किया गया था। इस सम्बन्ध में पूर्व में भी अंकेक्षण प्रतिवेदन में आपत्ति उठाई गई थी परन्तु संचालन समिति द्वारा इस सन्दर्भ में कोई भी अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई। अतः लगभग गत ग्यारह वर्षों से उक्त अग्रिम राशि का समायोजन न करना अनियमित ही नहीं अपितु आपत्तिजनक भी है। अतः उक्त पाई गई अनियमितता बारे स्पष्टीकरण दिया जाये एवं उक्त अग्रिम राशि का अति शीध्र समायोजन किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा इसकी अनुपालना से लेखा परीक्षा को भी अवगत करवाया जाये।

10 स्टॉक से जारी ₹105813/– की मदों की रसीदें प्राप्त न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान स्टॉक रजिस्टर के अवलोकन करने पर पाया गया कि स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ 109 पर 30 नं0 रेसलिंग मैटस जिला युवा सेवाएं एवं खेल अधिकारी, हमीरपुर को जारी की गई थी जिनका मूल्य ₹105813/– था। उक्त रेसलिंग जारी करने की दिनांक रजिस्टर में अंकित नहीं की गई थी तथा जारी की गई मदों की रसीदें भी उक्त कार्यालय से प्राप्त नहीं की गई थी। अतः अपेक्षित कार्रवाई करने के अतिरिक्त वांन्छित रसीदें अब प्राप्त की जाये तथा अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये।

11 एकल निविदा के आधार पर चौकीदार की नियुक्ति करके ₹71050/– का अनियमित भुगतान करनाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दिनांक 26.11.2010 को संचालन समिति को हुई बैठक में खेल परिसर में 6 माह के लिये एक चौकीदार रखने का प्रस्ताव पारित किया गया। परिणामस्वरूप मै0 शिमला क्लीनवेज, संजौली, शिमला से एकल निविदा के आधार पर अवधि 23.12.2010 से 22.06.2011 के लिये ₹5075/– प्रतिमाह के दर से एक चौकीदार की तैनाती का अनुबन्ध किया गया। इसके पश्चात पुरानी दर पर ही तैनाती की अवधि को 23.06.2011 से 22.12.2011 व 22.12.2011 से 23.12.2012 तक बढ़ा दिया गया । उक्त वर्णित एकल निविदा दर के न्यूनतम होने के बारे में भी सक्षम अधिकारी द्वारा कोई भी प्रमाण अभिलेख में दर्ज नहीं किया गया था जोकि अनियमित है। अतः उक्त पाई गई अनियमितता बारे तथ्यों सहित स्पष्टीकरण दिया जाये एवं अनियमित प्रकार से किये गये ₹71050/– (5075X14 माह) के भुगतान को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये।

12 स्टैण्डर्ड लाईसैन्स फीस की ₹9914/– की कम वसूली करनाः–

अवर सचिव (जी0ए0डी0) हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या जी0ए0डी0–डी0–3 (सी) 14–2/97, दिनांक 21.9.2010 के अनुसार टाईप–II सरकारी आवास की दिनांक 21.9.2010 से संशोधित स्टेण्डर्ड लाईसैन्स फीस ₹228/– प्रतिमाह निर्धारित की गई है परन्तु निम्न वर्णित कर्मचारियों को परिसर के टाईप–II के आंबटित आवास के लिए ₹176 प्रतिमाह की दर से वसूली जा रही थी परिणामस्वरूप अवधि 21.9.2010 से 31.1.2014

के लिये निम्नविवरणानुसार स्टैण्डर्ड लाईसैन्स फीस ₹9914/– की कम वसूली की गई जो की अनियमित एवं आपतिजनक है। अतः उक्त पाई गई अनियमितता बारे तथ्यों सहित पूर्ण स्पष्टीकरण दिया जाये एवं उपरोक्त कम वसूली की राशि की सम्बन्धित कर्मचरियों से अब वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए तथा भविष्य में भी स्टैण्डर्ड फीस की वसूली उक्त कार्यालय ज्ञापन के अनुसार की जानी सुनिश्चित करें। इस सन्दर्भ में कृत कार्रवाई की अनुपालना से इस विभाग को शीध्र सूचित किया जाये।

क्र0 सं0	**कर्मचारी का नाम व पदनाम सर्व श्री**	**आवास का टाईप**	**स्टैण्डर्ड लाईसैन्स फीस की प्रतिमाह अपेक्षित वसूली**	**वास्तव में की गई प्रतिमाह वसूली**	**अवधि**	**कम वसूली**
1	अतरू राम भट्टी, वरिष्ठ सहायक	टाइप–II	228	176	11.3.11 से 31.1.14	1803
2	विजयकुमार, कनिष्ठ सहायक	टाइप	228	176	21.9.10 से 31.1.14	2097
3	उत्तम डोड, जूनियर सहायक	टाइप	228	176	21.9.10 से 31.1.14	2097
4	अश्वनी कुमार, टायक्वोडो कोच	टाइप	228	176	21.9.10 से 31.1.14	2097
5	अजय कुमार, करोटे ट्रेनर	टाइप	228	176	21.9.10 से 31.1.14	1820
					कुल	**9914**

13 मकान किराए भत्ते की अदायगी के लिए संयुक्त घोषणा पत्र प्राप्त न करनाः–

नियमानुसार यदि पति पत्नी सरकारी कर्मचारी हो तथा एक ही मकान में रहते है तो मकान किराया भत्ता एक ही कर्मचारी को देय होगा। अतः इस सन्दर्भ में आवास किराया भत्ते के भुगतान से पूर्व पति पत्नी से सयुंक्त घोषणा पत्र जो कि उनके आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया हो को भी प्राप्त किया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि श्री सुशील कुमार, जिमनास्टिक कोच एव उत्तम डोड, जुडो कोच जिनके परिवार में पति पत्नी दोनों ही सरकारी कर्मचारी है, से उक्त अपेक्षित संयुक्त घोषणा पत्र प्राप्त

नहीं किया गया था, जिसके अभाव में उनको भुगतान किए गए आवास किराया भत्ते के भुगतान को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। अतः इन कर्मचारियों से उक्त प्रमाण पत्र शीघ्र प्राप्त किये जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

14 विलम्ब से बिजली के बिल का भुगतान करने पर ₹691 का अधिभार के रूप में अधिक भुगतान करना–

समिति द्वारा सहायक अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को खेल परिसर के माह 12/2012 से सम्बन्धित बिजली प्रभार के बिल संख्या 111222974262, दिनांक 20.12.2012 के अन्तर्गत ₹35874/– का भुगतान किया गया। समिति द्वारा बिजली के उक्त बिजली के बिल का विलम्ब से भुगतान किया गया जबकि देय तिथि के अनुसार वास्तव में ₹35183/– का ही भुगतान किया जाना वांन्छित था। इस प्रकार विलम्ब से बिल का भुगतान करने पर ₹691/– अधिभार के रूप में अधिक भुगतान किया गया जिसकी उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण को दिखाई जाये।

15 अखबार की रद्दी की नीलामी न करने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान समिति के प्राधिकारियों द्वारा अवगत करवाया गया कि समिति द्वारा प्रारम्भ से ही हर माह खेल परिसर के लिए समाचार पत्रों का क्रय किया जा रहा है परन्तु परिसर के स्टोर में पड़ी अखबार की रद्दी की आज तक नीलामी नहीं की गई है। इतने वर्षों से अखबार की रद्दी की नीलामी न करने सम्बन्धी पूर्व में भी अंकेक्षण प्रतिवेदन भी आपत्ति उठाई गई थी परन्तु अभी तक कोई अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई थी। अतः पुनः सुझाव दिया जाता है कि अखबार की रद्दी की शीध्र नीलामी करनी सुनिश्चित की जाये तथा नीलामी से प्राप्त राशि को संचालन समिति की निधि में जमा करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये।

16 स्टॉक की मदों की नीलामी करने, स्टॉक की मदों की प्रत्यक्ष सत्यापन न करने तथा स्टॉक रजिस्टरों के रख रखाव के बारे मेंः–

समिति द्वारा कमेटी गठित करके दिनांक 31.10.2011 को स्टॉक की विभिन्न मदों की अनुपयोगी वस्तुओं की नीलामी द्वारा की गई जिससे प्राप्त ₹15000/– को संचालन निधि के पर्सनल लेजर अकाउंट संख्या 8443–106 में जमा न करके लेखा शीर्ष 0202–03–800 में जमा किया गया जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट की जाये। इसके अतिरिक्त उक्त नीलामी के पश्चात

स्टॉक रजिस्टर में सम्बन्धित मदों का कितना स्टॉक शेष था जिसका भी कोई आंकलन/सत्यापन नहीं किया गया था तथा संचालन समिति नीलामी उपरान्त वार्षिक आधार पर स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन भी नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त संचालन समिति कुछ प्रकरणो में विभिन्न मदों को स्टॉक रजिस्टर के एक की पृष्ठ पर दर्ज किया गया था जबकि प्रत्येक मद को अलग–अलग पृष्ठ पर दर्ज किया जाना आवश्यक था। परिणामस्वरूप किसी विशेष अवधि में विभिन्न मदों के स्टॉक की क्या स्थिति है का आंकलन किया जाना कठिन है। अतः पाई गई त्रुटियों बारे स्पष्टीकरण दिया जाये। इसके अतिरिक्त नीलामी उपरान्त मदवार स्टॉक की वर्तमान स्थिति को भी प्रत्यक्ष सत्यापन करवाकर इसे सक्षम अधिकारी/समिति में प्रतिहस्ताक्षरित करवाया जाये तथा स्टॉक की विभिन्न मदों को अलग–अलग पृष्ठ पर दर्ज किया जाये व अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये।

17 लघु आपत्ति विवरणिका :– लघु आपति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई। लघु आपतियो ंका निपटारा अंकेक्षण के दौरान कर लिया गया।

18 निष्कर्ष :–लेखाओं में उचित सुधार की आवश्यकता है ।

हस्ता/–

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या : फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)225/03–खण्ड–2– दिनांक11.04.2014, शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृत :–(1) उप निदेशक, इन्दिरा गांधी खेल परिसर, शिमला–171001 को इस आश्य के साथ प्रेषित की जाती है कि वह अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजें।
(2) निदेशक, युवा सेवाएं एवं खेल हिमाचल प्रदेश (सचिवालय) शिमला–171002
(3) अवर सचिव (युवा सेवाएं एवं खेल) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–171002
(4) श्री मनजीत भाटिया, अनुभाग अधिकारी (ले0प0) द्वारा.........................

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.